न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामाँ (डीग)

पीठासीन अधिकारी संदीप चौधरी आर0ए0एस0

मुकदमा नं0 39/2023

01. जगमोहन पुत्र नत्थी जाति माली निवासी ग्राम जुरहरा तहसील कामां हाल तहसील जुरहरा जिला डीग राजस्थान।
02. धारासिंह पुत्र नत्थी जाति माली निवासी ग्राम जुरहरा तहसील कामां हाल तहसील जुरहरा जिला डीग राजस्थान।
03. भगवान दास पुत्र नत्थी जाति माली निवासी ग्राम जुरहरा तहसील कामां हाल तहसील जुरहरा जिला डीग राजस्थान।

प्रार्थीगण.......

बनाम

01. अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग जुरहरा तहसील कामां हाल तहसील जुरहरा जिला डीग राजस्थान।
02. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कामां जिला डीग राजस्थान।

अप्रार्थी..........

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136
भू–राजस्व अधिनियम–1956

उपस्थित :– श्री बृजलाल शर्मा, वकील प्रार्थी।

निर्णय

दिनांक :– 10/02/2025

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का पेश किया है कि साविक खसरा नम्बर 3742/2230 रकबा 0.34 बिस्वा किस्म बारानी ग्राम जुरहरा द्वितीय तहसील कामां में स्थित है जो कि प्रार्थीगण के वाहिस्सा बराबर कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है। सबूत में नकल जमाबन्दी 2069 से 2072 व नकल नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। जो कि कामां से जुरहरा के रास्ता पास स्थित है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा वक्त सेटलमेन्ट प्रार्थीयान के पूर्व के साविक खसरा नम्बर 3742/2230 रकबा 0.34 हैक्टेयर के क्रमशः नये नम्बर 316/0.05, 317/0.24 बनाये जाकर 0.05 रकबा खसरा नम्बर 198 सडक कामां से जुरहरा में शामिल कर दिया गया। सबूत में नकल मिलान क्षेत्रफल व नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थीगण के पूर्व साविक खसरा नम्बर 3472/2230/0.34 हैक्टेयर कि राजस्व रिकॉर्ड में पूर्व से ही किस्म बारानी दर्ज होती चली आ रही थी। परन्तु भू–प्रबंध विभाग ने आराजी खसरा नम्बर 3742/2230/0.34 के नये नम्बर क्रमशः 316/0.05, 317/0.24 बनाये जाकर खसरा नम्बर 316/0.05 की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में किस्म परिवर्तन करते हुए गैर मु0 सडक का इन्द्राज कतई गलत खिलाफ कानून मौका कब्जा इन्द्राज कर दिया जबकि भू–प्रबंध विभाग को बिना सक्षम न्यायालय व बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना आराजी खसरा नम्बर 317/0.24 की किस्म परिवर्तन करने का अधिकार

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग) राज0

नहीं था। भू–प्रबंध विभाग द्वारा आराजी खसरा नम्बर 317 / 0.24 हैक्टेयर की किस्म परिवर्तन का कार्य अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किया है जो कतई गलत खिलाफ कानून व खिलाफ पूर्व राजस्व रिकॉर्ड के है। हाल राजस्व रिकॉर्ड खसरा नम्बर 317 / 0.24 हैक्टेयर थी किस्म गै0मु0 सडक गलत दर्ज की जा रही है। जिससे प्रार्थीयान को सख्त हक तलफी है विधि वजह प्रार्थीगण जरिये अदालत पूर्व राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक आराजी खसरा नम्बर 317 / 0.24 हैक्टेयर की किस्म गैर0मु0 सडक के स्थान पर किस्म बारानी दुरूस्त करा पाने के अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में हाल खसरा नम्बर 317 / 0.24 हैक्टेयर बांके ग्राम जुरहरा द्वितीय तहसील कामां हाल तहसील जुरहरा कि किस्म गैर0मु0 सडक के स्थान पर किस्म बारानी दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार जुरहरा को जरिये नोटिस तलव किया गया। पैरोकार सरकार तहसीलदार जुरहरा द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी के संबंध में अपनी मौका रिपोर्ट/तथ्यात्मक रिपोर्ट अपने पत्र कमांक :–रीडर / 2024 / 223 दिनांक 13.05.2024 से अवगत कराया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 316 रकबा 0.05 है0, 317 रकबा 0.24 है0 वाके ग्राम जुरहरा–2 जमाबन्दी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 705 पर श्री जगमोहन, धारासिंह, भगवानदास पिसरान नत्थी जाति माली सा0 जुरहरा की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा वक्त सेटलमेन्ट प्रार्थीगण के साविक आराजी खसरा नम्बर 3742 / 2230 रकबा 0.34 है0 के नये खसरा नम्बर कमशः आराजी खसरा नम्बर 316 रकबा 0.05 है0 आराजी खसरा नम्बर 317 रकबा 0.24 है0 व आराजी खसरा नम्बर 198 में 0.05 हैक्टेयर रकबा शामिल किया गया है। सेटलमेंट विभाग द्वारा बनाये गये नये आराजी खसरा नम्बर 316 का नक्शा बडा दर्शाया हुआ है तथा रिकॉर्ड में उक्त खसरा नम्बर का रकबा 0.05 है0 व नये आराजी खसरा नम्बर 317 का नक्शा छोटा दर्शाया हुआ है तथा रिकॉर्ड में उक्त खसरा नम्बर का रकबा 0.24 है0 दर्शाया गया है। जो रिकॉर्ड व पटवारी हल्का जुरहरा की रिपोर्ट दिनांक 08.05.2024 के अनुसार गलत है, जिसे दुरूस्त किया जाना उचित है। आराजी खसरा नम्बर 316 का रकबा 0.05 है0 के स्थान पर 0.24 है0 व आराजी खसरा नम्बर 317 का रकबा 0.24 है के स्थान पर 0.05 है0 किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 2 को कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र कर हाल खसरा नम्बर 316 के रकबा को 0.24 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 317 के रकबा को 0.05 हैक्टेयर दुरस्त कराने के लिए सहमति जाहिर की है।

हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया जाकर मनन किया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में अपनी बहस में तहसीलदार जुरहरा की रिपोर्ट के मुताबिक हाल खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग) राज0

316 के रकबा को 0.24 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 317 के रकबा को 0.05 हैक्टेयर दुरस्त किये जाने हेतु अनुरोध किया गया। तथा तहसीलदार जुरहरा द्वारा अपनी रिपोर्ट में आराजी खसरा नम्बर 316 का रकबा 0.05 है0 के स्थान पर 0.24 है0 व आराजी खसरा नम्बर 317 का रकबा 0.24 है के स्थान पर 0.05 है0 किये जाने की अभिशंषा के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आज्ञा है :–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जुरहरा को निर्देश दिये जाते हैं कि ग्राम जुरहरा द्वितीय तहसील जुरहरा की आराजी खसरा नम्बर 316 का रकबा 0.05 है0 के स्थान पर 0.24 है0 व आराजी खसरा नम्बर 317 का रकबा 0.24 है के स्थान पर 0.05 है0 किया जाता है। निर्णय की एक प्रति नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार जुरहरा को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 10/02/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संदीप चौधरी)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
कामाँ जिला डीग राज0